

जावीद अहमद,  
आई०पी०एस०



पुलिस महानिदेशक  
उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ  
दिनांक: लखनऊ: मार्च 08, 2016

प्रिय महोदय / महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध हेतु भारत सरकार दृढसंकल्प है तथा भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में **The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013** (छायाप्रति संलग्न) लागू किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने में पुलिस की अहम भूमिका है।

2. उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की धारा-22 में प्रावधानित किया गया है कि :-

**" Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence under it shall be cognizable and non-bailable".**

3. उल्लिखित अधिनियम में उपरोक्त प्राविधान होने के पश्चात भी बहुधा पुलिस द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रायः इस प्रकार के प्रकरणों में आई०पी०सी० की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जा रहे हैं, फलस्वरूप इसका लाभ आरोपियों को मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध नियम 2013 के (छायाप्रति संलग्न) के खण्ड-II के पैरा-7 (V) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि:-

**"The employer shall ensure that the assigned person has life insurance policy of at least ten lakh rupees and the premium for which shall be paid by the employer".**

4. इसी क्रम में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन(सिविल) संख्या-583/2003 में दिनांक-27-03-2014 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके खण्ड-VIII के पैरा-14 (ii) (a) में इंगित किया गया है कि:-

**"Sewer deaths- entering sewer lines without safety gears should be made a crime even in emergency situations. For each such death, compensation of Rs. 10 lakhs should be given to the family of the deceased".**

5. स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न कर आई०पी०सी० की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने के फलस्वरूप पीड़ित परिवार को अधिनियम में प्राविधान होने के बावजूद भी बीमा अथवा मुआवजे की धनराशि रु० 10 लाख नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप मा० राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है तथा यह अपेक्षा की गयी है कि इस तरह के प्रकरणों में पुलिस द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

6. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिनियम के समस्त प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अधिनियम के अन्तर्गत कारित होने वाले अपराधों में इसी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किये जायें, जिससे पीड़ित/पीड़िता को इसका लाभ मिल सके। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिनियम के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को मासिक अपराध गोष्ठी में भी जानकारी दें तथा इसका प्रचार-प्रसार भी करायें।

भवदीय,

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक(नाम से),  
प्रभारी जनपद,  
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रतिलिपि-संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-यथोपरि।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन  
का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास  
अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 25)

[18 सितम्बर, 2013]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उनके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के बीच बंधुता बढ़ाने को एक लक्ष्य के रूप में उल्लिखित किया गया है ;

और संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मूल अधिकारों में गरिमा के साथ रहने के अधिकार को भी विवक्षित किया गया है ;

और संविधान के अनुच्छेद 46 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि राज्य, दुर्बल वर्गों की और विशेषतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा ;

अस्वच्छ शौचालयों के सतत बने रहने और अत्यंत अन्यायी जाति-व्यवस्था से उद्भूत हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा देश के विभिन्न भागों में अभी भी जारी है और विद्यमान विधियां अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की दोहरी-बुराइयों को दूर करने में पर्याप्त साबित नहीं हुई हैं ;

और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा राहन किए गए ऐतिहासिक अन्याय और तिरस्कार को रोकना तथा गरिमापूर्ण जीवन के लिए उनका पुनर्वास करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

#### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

राक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । 1. (1) इस अधिनियम का राक्षिप्त नाम हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस प्रकार अधिसूचित तारीख, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्, साठ दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" से, स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न, ऐसा कोई अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा अपने ऊपर ले सके और इसके अंतर्गत ऐसा कोई टेकेंदार या फर्म या कंपनी है, जो मू-संपदा के विकास और अनुरक्षण कार्य में लगती है ;

(ख) "समुचित सरकार" से, छावनी बोर्डों, रेल मूमि और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपग्राम या केंद्रीय सार्वजनिक द्वारा पूर्णतया या सारभूत रूप से वित्तपोषित स्वशासी निकाय के स्वामित्वाधीन मूमि और भवनों के संबंध में, केंद्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) किसी नगरपालिका या पंचायत के संबंध में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से उसका ज्येष्ठतम कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(घ) किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा "परिसंकटमय सफाई" से नियोजक द्वारा संरक्षणात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है ;

(ड) "अस्वच्छ शौचालय" से ऐसा कोई शौचालय अभिप्रेत है, जिसमें मल-मूत्र के, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व मानव मल-मूत्र की या तो उसी स्थान से या किसी ऐसी खुली नाली या गड्ढे में से जिसमें मल-मूत्र को निस्सारित या संप्रवाहित किया गया है, सफाई की जानी अपेक्षित होती है या अन्यथा उसको हाथ से उठाया जाना अपेक्षित होता है।

परंतु किसी रेल यात्री डिब्बे में जलीय फ्लश शौचालय को, जब उसकी किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संस्वात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, सफाई की जाती है, अस्वच्छ शौचालय नहीं समझा जाएगा ;

(च) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,—

(i) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित ऐसी कोई नगरपालिका या पंचायत, जो अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है ;

(ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 10 के अधीन गठित कोई छावनी बोर्ड ; और

(iii) कोई रेल प्राधिकारी ;

(छ) "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को उठाया जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(क) "लगाया जाना या नियोजित किया जाना" से नियमित या संविदा आधार पर लगाया जाना या नियोजित किया जाना अभिप्रेत है ;

(ख) ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संस्वात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, मल-मूत्र को साफ करने के लिए लगाया गया या नियोजित किया गया कोई व्यक्ति "हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी" नहीं समझा जाएगा ;

(ज) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अधीन गठित किया गया और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प संख्यांक 17015/18/2003-एस.सी.डी.-VI, तारीख 24 फरवरी, 2004 द्वारा बनाए रखा गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(अ) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां "अधिमोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अधिमोग में तत्समय ऐसे परिसर हैं ;

(ट) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास तत्समय ऐसे परिसरों का विधिक हक है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "रेल प्राधिकारी" से रेल भूमि का प्रशासन करने वाला ऐसा कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा इस विहित अभिप्रेत किया जाए ;

(ढ) "रेल भूमि" का वह अर्थ होगा, जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (32क) में है ;

1989 का 24

(ण) "स्वच्छ शौचालय" से ऐसा शौचालय अभिप्रेत है, जो 'अस्वच्छ शौचालय' नहीं है ;

(त) "मलाशय" से सामान्यतया भूमि के नीचे अवस्थित ऐसा कोई जलरोधी निथार-टंकी या चेंबर अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मानव मल-मूत्र डालने और रखने के लिए किया जाता है, जिससे उसका जीवाण्विक क्रियाकलापों से विघटन हो सके ;

(थ) "मलनाली" से अन्य अपशिष्ट पदार्थ और मलनाली के अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त मानव मल-मूत्र को निपटाने के लिए भूमिगत कोई नाली या पाइप अभिप्रेत है ;

(द) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(घ) "सर्वेक्षण" से धारा 11 या धारा 14 के अनुसरण में किया गया कोई हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु छावनी अधिनियम, 2006 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

2006 का 41

(3) इस अधिनियम के अध्याय 4 से अध्याय 8 के अधीन किसी नगरपालिका के प्रति निर्देश के अंतर्गत, उन क्षेत्रों के संबंध में जो क्रमशः छावनी बोर्ड और रेल भूमि की अधिकारिता के भीतर सम्मिलित किए गए हैं, यथास्थिति, छावनी बोर्ड या रेल प्राधिकरण के प्रति निर्देश होगा ।

अधिनियम का  
अध्यारोही प्रभाव  
होना।

3. इस अधिनियम के उपबंध, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय रान्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 या किसी अन्य विधि अथवा ऐसी किसी अन्य लिखित में, जो किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी है, किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

1993 का 46

## अध्याय 2

## अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करना

## 4. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यमान अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों की एक सूची, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसी शैली में, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा ;

(ख) अधिमोगी को, खंड (क) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अस्वच्छ शौचालय को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, या तो तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने की सूचना देगा :

परंतु स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास से अनधिक की अवधि के भीतर, ऐसे क्षेत्रों में, जहां अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं, उतने स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का, जितने वह आवश्यक समझे, सन्निर्माण करेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिकाएं, छावनी बोर्ड और रेल प्राधिकारी भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का सन्निर्माण करेंगे, जिससे उनकी अधिकारिता में खुले में मलत्याग की प्रथा को समाप्त किया जा सके ।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का सन्निर्माण कराएं और सभी समयों पर उनके स्वच्छ रखरखाव करने की भी व्यवस्था करें ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए रेल प्राधिकारियों के संबंध में "समुदाय" से रेल के यात्री, कर्मचारिवृन्द और अन्य प्राधिकृत उपयोक्ता अभिप्रेत हैं ।

## अध्याय 3

## अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध

5. (1) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्,—

(क) किसी अस्वच्छ शौचालय का सन्निर्माण नहीं करेगा ; या

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी को, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और इस प्रकार लगाया गया या नियोजित किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाथ से मैला उठाने की, अभिव्यक्त या विवक्षित, किसी बाध्यता से तुरंत उन्मोचित हो जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को अधिमोगी द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर या तो तोड़ दिया जाएगा या एक स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा :

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाना और स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का उपलब्ध कराया जाना ।

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध ।

परंतु जहां, किसी अस्वच्छ शौचालय के संबंध में अनेक अधिभोगी हैं, वहां उसको तोड़ने या संपरिवर्तित करने का दायित्व,—

(क) परिसरों के स्वामी पर होगा, यदि उनमें से एक अधिभोगी उसका स्वामी हो; और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, सभी अधिभोगियों पर होगा :

परंतु राज्य सरकार, ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों से संबद्ध अधिभोगियों को और ऐसे मापमान पर जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में संपरिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकेगी :

परंतु यह और कि राज्य की सहायता प्राप्त न होना, नौ मास की उक्त अवधि के पश्चात् किसी अस्वच्छ शौचालय को बनाए रखने या उसका उपयोग करने का कोई विधिनान्ध आधार नहीं होगा ।

(3) यदि कोई अधिभोगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने में असफल रहेगा तो उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा अस्वच्छ शौचालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, अधिभोगी को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् ऐसे शौचालय को या तो स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करेगा या ऐसे अस्वच्छ शौचालय को तोड़ देगा और वह, ऐसे अधिभोगी से, यथास्थिति, ऐसे संपरिवर्तित किए जाने या तोड़े जाने का खर्च ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वसूल करने का हकदार होगा ।

संविदा करार आदि का शून्य होना ।

6. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के प्रयोजन के लिए लगाए जाने अथवा नियोजित किए जाने के संबंध में की गई या निष्पादित किसी संविदा, करार या अन्य लिखत, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पर्यवसित हो जाएगी और ऐसी संविदा, करार या अन्य लिखत शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगी और उसके लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसको पूर्णकालिक आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में नियोजित किया गया या लगाया गया है, उसके नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी किन्तु उसको, उसकी रजामंदी के अधीन रहते हुए, कम से कम उन्हीं उपलब्धियों पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसको हाथ से मैला उठाने से भिन्न कार्य सौंपा जाएगा ।

मलनाशियों और मलाशयों की परिसंकटमय सफाई के लिए व्यक्तियों को लगाए जाने या नियोजित किए जाने का प्रतिषेध ।

7. कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अधिकरण, ऐसी तारीख से, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा ।

घास 5 या घास 6 के उल्लंघन के लिए शारिता।

8. जो कोई, घास 5 या घास 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्पूर्वी उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।



9. जो कोई धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्पूर्ति उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 7 के उल्लंघन के लिए शक्ति।

10. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अभिकथित अपराध के कारित किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसका परिवाद करने के सिवाय न करेगा।

अभियोजन की परिसीमा।

#### अध्याय 4

### नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान और उनका पुनर्वासन

11. (1) यदि किसी नगरपालिका के धारा यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य के लिए लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, तो ऐसी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए एक सर्वेक्षण कराएगा।

नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की अंतर्वस्तु और कार्यपद्धति ऐसी होगी, जो विहित की जाए और उसको नगर निगमों की दशा में उसके प्रारंभ से दो मास की अवधि के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं की दशा में एक मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सर्वेक्षण का जिम्मा लिया गया है, ठीक और समय से सर्वेक्षण पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, उसकी नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए तथा ऐसी पात्रता शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करते हुए पाए गए व्यक्तियों की एक अनंतिम सूची तैयार कराएगा, ऐसी अनंतिम सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ऐसी शीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराएगा और सर्वसाधारण से उस सूची के प्रति आक्षेप आमंत्रित करेगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अनंतिम सूची में किसी नाम को या तो सम्मिलित किए जाने या उसको हटाए जाने के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह ऐसे प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जो नगरपालिका अधिसूचित करे, आक्षेप फाइल करेगा।

(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी आक्षेपों की जांच की जाएगी और उसके पश्चात् नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों की एक अंतिम सूची उसके द्वारा ऐसी शीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी।

(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्ति, धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करने की किसी बाध्यता से उन्मोचित हो जाएंगे।

पहचान के लिए किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा आवेदन।

12. (1) किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी नगरपालिका द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, धारा 11 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान, या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी शीति से, जो विहित की जाए, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 11 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप या जब ऐसे सर्वेक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है।

(3) यदि कोई आवेदन, उपधारा (1) के अधीन उस समय प्राप्त होता है जब धारा 11 के अधीन कोई सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है और उसका, उपधारा (2) के अनुसार जांच के पश्चात् सही होना पाया जाता है, तो धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रकाशित अंतिम सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जोड़े जाने की कार्यवाई की जाएगी और उपधारा (7) में वर्णित उसके परिणामों का अनुसरण किया जाएगा।

किसी नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास।

13. (1) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसको धारा 11 की उपधारा (6) के अनुसरण में प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, निम्नलिखित शीति से पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) उसको एक मास के भीतर—

(i) एक फोटो पहचान पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस पर आश्रित उसके कुटुंब के सभी व्यक्तियों के ब्यारे अंतर्विष्ट होंगे, दिया जाएगा, और

(ii) ऐसी आरंभिक, एक बार, ऐसी नकद सहायता दी जाएगी, जो विहित की जाए;

(ख) उसके बालक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसको आवासीय भूखंड आबंटित किया जाएगा और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी या तैयार बना हुआ मकान, वित्तीय सहायता के साथ, आबंटित किया जाएगा ;

(घ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी जीवनयापन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन हजार रुपए से अन्यून की मासिक वृत्तिका संदत की जाएगी ;

(ङ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी वहनीय आधार पर कोई अनुकल्पी उपजीविका करने के लिए सहायिकी और रियायती ऋण, ऐसी शीति से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम में नियत की जाए, दिया जाएगा;

(च) उसको ऐसी अन्य विधिक और योजनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस निमित्त, अधिसूचित करे।



(2) संबद्ध जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मी के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारियों और संबद्ध नगरपालिका के अधिकारियों को उत्तरदायित्व-समनुदेशित कर सकेगा।

14. यदि किसी पंचायत को यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे हुए हैं तो ऐसी पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे कर्मियों का सर्वेक्षण कराएगा।

15. (1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी पंचायत द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, या तो धारा 14 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो धारा 14 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के मागुरु में या जब ऐसा सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है।

16. ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसको धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की प्रकाशित अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, धारा 13 में नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के संबंध में अधिकथित रीति से यथा आवश्यक परिवर्तन सहित पुनर्वासित किया जाएगा।

#### अध्याय 5

#### कार्यान्वयन प्राधिकरण

17. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का, जागरूकता अभियान के माध्यम से या ऐसी रीति से यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्—

(i) उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण या उपयोग न किया जाए; और

(ii) खंड (i) के उल्लंघन की दशा में धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अधिमोमी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

18. समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाए, स्थानीय प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी तथा उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो आवश्यक हों और स्थानीय प्राधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा।

पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण।

पहचान के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन।

किसी पंचायत द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास।

अस्वच्छ शौचालयों के हटाने को सुनिश्चित करने का स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व।

ऐसे प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।



जिला मजिस्ट्रेट और प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य ।

19. धारा 18 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत प्राधिकारी या उस धारा के अधीन उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्,—

(क) उनकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में किसी व्यक्ति को, लगाया या नियोजित न किया जाए;

(ख) कोई भी अरबख शौचालय का निर्माण, अनुस्क्षण, उपयोग न करे या उपयोग के लिए उपलब्ध न कराए;

(ग) इस अधिनियम के अधीन पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का, यथास्थिति, धारा 13 या धारा 16 के अनुसार पुनर्वास किया जाए;

(घ) धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण और अभियोजन किया जाए; और

(ङ) उसकी अधिकारिता के भीतर लागू होने वाले इस अधिनियम के सभी उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए।

निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ।

20. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परिभाषित कर सकेगी ।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसी वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए, किसी परिसर या स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा,—

(क) किसी शौचालय, खुली नाली या गड्ढे की परीक्षा और जांच करना या ऐसे किसी परिसर या स्थान का निरीक्षण करना, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और किसी व्यक्ति के हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में नियोजन को निवारित करना;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की जांच करना, जिसको वह ऐसे परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह उसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में नियोजित है या अन्यथा वह इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन या अनुपालन के संबंध में जानकारी देने की स्थिति में है;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको वह ऐसे परिसर में पाता है, ऐसे परिसरों पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों के रूप में नियोजित व्यक्तियों और उनको नियोजित करने या कार्य पर लगाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण या ठेकेदार के नामों और पत्तों के संबंध में ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा करना जिसका दिया जाना उसकी शक्ति में है;

(घ) ऐसे रजिस्ट्रों, मजदूरियों के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या उनके मागों का अभिग्रहण करना या उनकी प्रतियां लेना जिनको वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह प्रधान नियोजक या अभिकरण द्वारा किया गया है; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो विहित की जाएं ।



1860 का 45 (3) उपधारा (2) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा अपेक्षित किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को, भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए वैध रूप से आवद्ध समझा जाएगा ।

1974 का 2 (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सकें उपधारा (2) के अधीन ऐसी किसी तलाशी या अभिग्रहण को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

#### अध्याय 6

#### विचारण संबंधी प्रक्रिया

1974 का 2 21. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी, और शक्तियों के इस प्रकार प्रदान किए जाने पर, ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसने इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

अपराधों का विचारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता ।

1974 का 2 (2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण संक्षेपतः किया जा सकेगा ।

1974 का 2 22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अज्ञमानतीय होगा ।

अपराध का संज्ञेय और अज्ञमानतीय होना ।

23. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

कंपनियों द्वारा अपराध

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम में अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय, है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण गना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

#### अध्याय 7

#### सतर्कता समितियां

24. (1) प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उप-खंड के लिए एक सतर्कता समिति गठित करेगी ।

सतर्कता समितियां ।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) जिला मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;



(ख) जिले से निर्वाचित अनुसूचित जातियों के राज्य विधान-मंडल के सभी सदस्य—सदस्य:

परंतु यदि किसी जिले में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य राज्य विधान-मंडल में नहीं है, तो राज्य सरकार, जिले से राज्य विधान-मंडल के दो से अधिक उतने अन्य सदस्यों को, जितने वह समुचित समझे, नामनिर्दिष्ट कर सकेगी:

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक — सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित के मुख्य कार्यपालक अधिकारी,—

(i) जिला स्तर पर पंचायत—सदस्य, पदेन;

(ii) जिला मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन;

(iii) जिले में गठित कोई अन्य नगर निगम—सदस्य, पदेन;

(iv) जिले में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) जिले में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, जिले के निवासी, चार से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(छ) जिले की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का जिला स्तरीय मारसाधक अधिकारी—सदस्य—सधिय, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, विभागों और अभिकरणों के जिला स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको जिला मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है।

(3) किसी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति निम्नलिखित सदस्यों से गिनाए जानेगी, अर्थात्:—

(क) उपखंड मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) उपखंड के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, वहां ग्राम स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो पंचायतों के अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(ग) पुलिस का उपखंड अधिकारी—सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित का मुख्य कार्यपालक अधिकारी —

(i) उपखंड मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन; और

(ii) उपखंड में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) उपखंड में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;



(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, उपखंड के निवासी, दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होगी;

(ङ) उपखंड की वित्तीय और प्रत्यय संरक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति:-

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का उपखंड स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य—राधिय, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के या जिला मजिस्ट्रेट के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए विभाग और अभिकरणों के उपखंड स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको उपखंड मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है—सदस्य, पदेन।

(4) जिला और उपखंड स्तर पर गठित प्रत्येक सतर्कता समिति की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(5) सतर्कता समितियों की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके गठन में कोई त्रुटि है।

25. सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करने के लिए सलाह देना;

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की निगरानी रखना;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रत्यय जुटाने की दृष्टि से सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के रजिस्ट्रीकरण और उनके अन्वेषण और अभियोजन को मानीटर करना।

सतर्कता समिति के कृत्य।

26. (1) प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

राज्य मानीटरी समिति।

(क) राज्य का मुख्यमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अनुसूचित जाति कल्याण और ऐसे अन्य विभाग का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, प्रमारी मंत्री;

(ग) राज्य सफाई कर्मचारी और अनुसूचित जाति आयोगों का, यदि कोई हो, अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) राज्य विधान-मंडल के अनुसूचित जातियों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो से अन्यून सदस्य;

परन्तु यदि राज्य विधान-मंडल में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य नहीं है तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।



(व) पुलिस महानिदेशक—सदस्य, पदेन;

(छ) राज्य सरकार के गृह, पंचायती राज विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और ऐसे अन्य विभागों के सचिव, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे;

(ज) जिला स्तर पर कम से कम ऐसे एक नगर निगम, पंचायत, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, राज्य में निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ञ) राज्य स्तरीय बैंककार समिति के संयोजक बैंक का राज्य स्तरीय प्रमुख—सदस्य, पदेन;

(ट) राज्य सरकार के अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित विभाग का सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ठ) राज्य सरकार के विभागों और ऐसे अन्य अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं।

(2) राज्य मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जो विहित किए जाएं, अनुपालन करेगी।

राज्य मानीटरी समिति के कृत्य।

27. राज्य मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(क) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अंगिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसके आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना।

राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार को आवधिक रिपोर्ट भेजने का कर्तव्य।

28. प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में ऐसी आवधिक रिपोर्टें भेजेंगे, जो केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे।

केन्द्रीय मानीटरी समिति।

29. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक केन्द्रीय मानीटरी समिति गठित करेगी।

(2) केन्द्रीय मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) संघ का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग—सदस्य, पदेन;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री—सदस्य, पदेन;



(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग—सदस्य, पदेन;  
 (ङ) योजना आयोग का अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध सदस्य—सदस्य, पदेन;

(च) अनुसूचित जातियों के तीन निर्वाचित संसद सदस्य, दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से;

(छ) निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव:—

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग;

(ii) शहरी विकास;

(iii) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन;

(iv) पेय जल और स्वच्छता;

(v) पंचायती राज;

(vi) वित्त, वित्तीय सेवा विभाग; और

(vii) रक्षा.

—सदस्य, पदेन होंगे.

(ज) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—सदस्य, पदेन;

(झ) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य, पदेन;

(ञ) कम से कम ऐसे छह राज्य सरकारों और एक संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करें :

(ट) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, देश के निवासी, छह से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ठ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध, संयुक्त सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ड) केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं ।

(3) केन्द्रीय मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

30. केन्द्रीय मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे.—

(क) इस अधिनियम और सुसंगत विधियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना ।

31. (1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना

केन्द्रीय मानीटरी समिति के कृत्य ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कृत्य ।



(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना और संबंधित प्राधिकारियों को आगे कार्रवाई की अपेक्षा करने संबंधी सिफारिशों सहित अपने निष्कर्ष संप्रेषित करना; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना ;

(घ) इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामले की स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना ।

(2) राष्ट्रीय आयोग को, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में जानकारी मांगने की शक्ति होगी ।

राज्य सरकार की इस अधिनियम के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए किसी समुचित प्राधिकारी को पदाभिहित करने की शक्ति ।

32. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या राज्य अनुसूचित जाति आयोग को या ऐसे अन्य कानूनी या अन्य प्राधिकारी को, जो वह ठीक समझे, राज्य में धारा 31 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, करने के लिए पदाभिहित कर सकेंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित किसी पदाधिकारी को, राज्य में आवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 31 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की शक्तियां होंगी ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य अभिकरणों का मलनालियों आदि को साफ करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कर्तव्य ।

33. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि मल-मूत्र की सफाई करने की प्रक्रिया में उसको हाथ से उठाने की आवश्यकता को खत्म करने की दृष्टि से अपने नियंत्रण के अधीन मलनालियों, मलाशयों और अन्य स्थानों की सफाई के लिए समुचित प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग करे ।

(2) यह समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि वह वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों के माध्यम से और अन्यथा, उपधारा (1) में यथावर्णित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

34. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या किसी समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वंजित होना ।

35. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसको इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है, अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

36. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, नियम बनाएगी ।





(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी नियोजक की बाधता:

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) और खंड (छ) के अधीन मूल-मूत्र का पूर्णतया विघटन किया जाता है;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अरवच्छ शौचालय के सर्वेक्षण और उसकी सूची के प्रकाशन की रीति ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने की सूचना देने और उस पर व्यय की वसूली की प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की अन्तर्वस्तु और पद्धति:

(च) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान के लिए पात्रता शर्तें और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूम में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन;

(छ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूम में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन;

(ज) नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (1) या धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन प्रारम्भिक, एक बार नकद सहायता का उपबंध;

(ञ) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन निरीक्षकों की ऐसी अन्य शक्तियां: और

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रमादी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।



आदर्श नियम बनाए जाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

37. (1) इस अधिनियम की धारा 36 में किसी बात के होते हुए भी---

(क) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए आदर्श नियम प्रकाशित करेगी ; और

(ख) यदि, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर आदर्श नियमों को अधिसूचित करने में अशक्य रहती है तो ऐसे राज्य में राज्य सरकार द्वारा अपने नियम अधिसूचित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आदर्श नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रभावी समझे जाएंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीन दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अन्तर्गत के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विविमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

38. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस राज्य के संबंध में नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

छूट देने की शक्ति ।

39. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी क्षेत्र, भवनों के प्रवर्ग या व्यक्तियों के वर्ग को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिरोपित की जाएं, इस अधिनियम के उपबंधों से या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, आदेश, अधिसूचना, उपविधि या स्कीम में अंतर्विष्ट किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या मामलों के किसी वर्ग या वर्गों में किसी ऐसी अपेक्षा के पालन से एक समय में छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए अभिमुक्त कर सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक साधारण या विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।



International Environmental  
Law Research Centre

## **Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013**

This document is available at [ielrc.org/content/e1314.pdf](http://ielrc.org/content/e1314.pdf)

**Note:** This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

International Environmental Law Research Centre  
[info@ielrc.org](mailto:info@ielrc.org) – [www.ielrc.org](http://www.ielrc.org)

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**  
(Department of Social Justice and Empowerment)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2013

G.S.R. 776(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 36 read with clause (a) of Sub-Section (1) of Section 37 of the Prohibition of Employment As Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**CHAPTER-1**

**GENERAL**

**1. Short title and commencement:-**

(1) These rules may be called the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:- (1) In these rules, unless the context otherwise requires :-**

- (a) "Act" means the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (23 of 2013);
- (b) "Cleaning device" - includes but not limited to the equipments referred to in rule 5, whether manually or mechanically propelled which can be used to:
- (i) clean or enable the transport or flow of sewage in sewers or septic tanks, and
  - (ii) avoid direct manual contact with such sewage or material.
- (c) "District Level Survey Committee" means the Committee referred to in rule 11 (2), 11 (48) and 11 (19), with the following composition-
- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | District Magistrate  | Chairman         |
| 2. | District Level Officer dealing with Scheduled Castes Affairs   | Member Secretary |
| 3. | District Statistical Officer   | Member           |
| 4. | District level officer of Urban Development Department/Local Self Government Department  | Member           |
| 5. | One representative of railway authority  | Member           |
| 6. | Upto two representatives of Non Government Organisations working for Welfare of manual scavengers and Safai Karamcharis to be nominated by the District Magistrate | Member           |
| 7. | Upto two community representatives of whom one should be a woman to be nominated by the District Magistrate  | Member           |

**Functions of the District Level Survey Committee:**

- a. to monitor and oversee the survey process at District level.
  - b. to distribute the materials for awareness campaign to designated place.
  - c. to arrange publicity through local newspapers etc. about the survey.
  - d. to distribute translated survey material to designated place under its jurisdiction.
  - e. to approve final list of manual scavengers for all towns, cities and villages in the district.
  - f. Publication of final consolidated list of the manual scavengers in the district.
- (d) "enumerator" means any person engaged by a local authority for the purpose of survey or verification of manual scavengers.
- (e) "inspector" means a person appointed as "inspector" by the appropriate Government as per the provisions of sub section (1) of section 20 of the Act.
- (f) "Overseer" means an officer engaged by a local authority to exercise the powers and perform the duties under these rules.
- (g) "Protective gear" means personal safety gear and safety devices that are to be provided, worn or used by safai karamcharis or sanitary workers in respect of cleaning of sewers and septic tanks that may be necessary for the specific nature of work to be carried out, as including and not limited to the materials referred to in Rule 4 to -
- (i) avoid any exposure of human skin to substances which can lead to diseases, along with all breathing equipment which prevents inhalation of gases which can lead to diseases, and, also includes any sensory equipment for detection of gases present inside the sewers or septic tanks;
  - (ii) avoid any injuries while carrying out cleaning work.
- (h) "Safai Karamchari" or "Sanitation Worker" means any person engaged in or employed for any sanitation work, other than domestic work;
- (i) "safety precautions" - shall include, but not be limited to, the precautions referred to in rule 6, and are all steps necessary to reduce the risk to the person and to avoid contraction of diseases and injuries by the persons engaged in cleaning of sewers and septic tanks due to exposure to sewage or any other

material to any person shall be allowed to enter into the sewers or septic tanks and while entering sewers or septic tanks.

(1) "State Level Survey Committee" means the Committee referred to in rules 10(12), 10(13) and 11(2) with the following composition:-

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Additional Chief Secretary or Principal Secretary, nominated by the State Government   | Chairman         |
| 2. | Principal Secretary/Secretary, dealing with Scheduled Castes. If the Committee is chaired by Additional Chief Secretary, if Principal Secretary, Scheduled Caste Welfare himself is the Chairman then Director, Scheduled Caste Welfare. | Member Secretary |
| 3. | Director, Economics and Statistics   | Member           |
| 4. | Secretary, Urban Development Department/Local Self Government Department   | Member           |
| 5. | Regional Director, Census Operations.  | Member           |
| 6. | One representative of railway authority  | Member           |
| 7. | Upto two representatives of Non Government Organisations working for Welfare of Manual Scavengers and Sahi Karamcharis to be nominated by the State Government   | Member           |
| 8. | Upto two community representatives of whom one should be a woman to be nominated by the State Government   | Member           |

**Functions of the State Level Survey Committee:**

- a. to monitor and oversee the survey process at state level.
  - b. to distribute the materials for awareness campaign to designated place.
  - c. to arrange publicity through local newspapers etc. about the survey.
  - d. to distribute translated survey material to designated place under its jurisdiction.
  - e. to approve final list of manual scavengers for all towns, cities and villages in the state.
  - f. Publication of final consolidated list of the manual scavengers in the state.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but, defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

**CHAPTER -II**

**OBLIGATIONS OF EMPLOYER TOWARDS EMPLOYEES ENGAGED IN THE CLEANING OF SEWER OR SEPTIC TANK**

3. (1) No person shall be allowed to clean a sewer manually, with the protective gear and safety devices under these rules except:-
  - (a) for the removal of concrete or FRP(Fibre Reinforced Plastic) or damaged manhole door where mechanical equipments cannot be put into operation.
  - (b) for inter-linking the newly laid sewer main with the existing sewer main, in case of sewer of size of more than 300 mm diameter.
  - (c) for removal of submersible pump sets fixed at the bottom of the suction wells.
  - (d) for the reconstruction of the manhole or rectification of the sewer main.
  - (e) Any circumstance, when it is absolutely necessary to have manual sewage cleaning, after the CEO of the local authority has permitted to do so after recording in writing the specific valid reasons for allowing such cleaning.
- (2) For the purposes of clauses (c) and (d) of sub-rule (1), before allowing entry of a person in the sewer, sewage shall be totally emptied.
4. Any person engaged to clean a sewer or a septic tank shall be provided by his employer, protective gear and safety devices including, but not limited to the followings:-
  - (i) Air compressor for blower



- (ii) Air line breathing apparatus
- (iii) Air line respirator with manually operated air blower
- (iv) Air Purifier Gas mask/chain cartage
- (v) Artificial respiration/Reticulate
- (vi) Barrier caution tape
- (vii) Barrier cream
- (viii) Barrier cone
- (ix) Blower
- (x) Breath mask
- (xi) Breathing Apparatus
- (xii) Caution board
- (xiii) Chlorine mask
- (xiv) Emergency medical oxygen resuscitator kit
- (xv) First Aid Box
- (xvi) Face Mask
- (xvii) Gas Monitor (4 gases)
- (xviii) Guide Pipe Set
- (xix) Full body wader suit
- (xx) Fishing wader suit attached with boots
- (xxi) Hand gloves
- (xxii) Head Lamp
- (xxiii) Helmet
- (xxiv) Helmet demolishing
- (xxv) Lead acetate paper
- (xxvi) Life guard pad
- (xxvii) Modular Airlines Supply Trolley System
- (xxviii) Normal face mask
- (xxix) Nylon rope ladder 5 metres
- (xxx) Nylon safety belt
- (xxxi) Pocket book
- (xxxii) Port oxy
- (xxxiii) Raincoat
- (xxxiv) Reflecting Jacket
- (xxxv) Safety belt
- (xxxvi) Safety body clothing
- (xxxvii) Safety body harness
- (xxxviii) Safety goggles
- (xxxix) Safety Gumboots
- (xl) Safety helmet
- (xli) Safety showers
- (xlii) Safety torch
- (xliii) Safety Tripod Set
- (xliv) Search light

5. The local authority shall ensure that the following cleaning devices are used by persons engaged in cleaning sewer or septic tank including but not limited to the following:

- (i) Sewer Line Cleaning Backing Machine
- (ii) Jetting Machine

- (iii) Suction Machine (Gulley Emptyer)
  - (iv) Combined Machine (Jetting cum Suction)
  - (v) Deep Suction Combined Machine (Jetting cum Suction Machine)
  - (vi) Manual Hand Operated Grab Bucket
  - (vii) Hydraulic Operated Trolley Mounted Grab Bucket
  - (viii) Truck Mounted Motor & Winch Operated Grab Bucket Machine
  - (ix) Fixed Structure Mounted Motor & Winch Operated Grab Bucket Machine
  - (x) Rickshaw Mounted Winch & Motor Operated Desilting Machine for Wet well
  - (xi) Rickshaw Mounted Winch & Auxiliary Engine Operated Desilting Machine for Manhole
  - (xii) Escort Hydra Crane Mounted Hydraulic Winch Operated Grab Bucket Desilting Machine
  - (xiii) Manual rods, shovels, spades, drainage cleaning machines and steel scrapers with handles
  - (xiv) Hoses and washing instruments
- 6 (1) All protective gear and safety devices under these rules shall be checked every six months and necessary repair or replacements shall be made by the employer who engages a person for cleaning a sewer or a septic tank.
- (2) Comfortable bodysuits shall be made available to the worker who has to enter sewers or septic tanks for their cleaning. The employer shall provide full body suits to workers entering manholes of depth more than five feet and alternatively, partial fishing wader body suits to those entering manholes of depth less than five feet.
- (3) The employer shall also ensure the following safety precautions before a person is engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank, namely:-
- (a) There shall be a minimum of three employees present all the time, one of whom shall be a supervisor.
  - (b) The atmosphere within the confined space shall be tested for oxygen deficiency and toxic and combustible gases including but not limited to poisonous gases like Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide, Methane, and gasoline vapours, through detection tests including the following: -
    - (i) lowering a detector lamp into the manhole,
    - (ii) inserting wet lead acetate paper which changes colour in the presence of hazardous gases,
    - (iii) detection of gases through gas detector masks.
  - (c) Before starting the cleaning under sub-rule (1) the supervisor referred to in clause (a) of sub-rule (3) has inspected and determined if the sewer serves any industries nearby to anticipate any hazardous atmosphere that may be encountered.
  - (d) The condition of metal-rung ladders and the side walls of the manhole shall be checked to see if there is any danger of collapse.
  - (e) Traffic and pedestrian barricades are provided all the times.
  - (f) A flag man should be stationed at least 50 feet ahead of a site and should be visible to incoming traffic for at least 500 feet.
  - (g) Regular medical check-up of sewage workers which shall include the examination of respiratory organs, skin injuries, and other occupational diseases and injuries for their treatment to ensure that sewage workers afflicted with such diseases or injuries do not enter sewers for cleaning.
  - (h) Regular vaccination against respiratory and skin diseases and other occupational diseases to which these workers are prone due to exposure to harmful substances and gases in sewers.
  - (i) All employees who are present on-site during cleaning work are given training and adequately familiarised with the knowledge to operate all equipments involved in cleaning work, to avoid injuries or diseases associated with such work and to take necessary steps in case of emergency arising at the place of work and the training shall be conducted every two years and the employees shall be familiarised with any changes in method and technique with respect to the above.

- (j) The supervisor possesses and keeps two or more life lines and rescue apparatus ready for use at hospitals or clinics.
  - (k) Cleaning of a sewer or a septic tank shall be done:
    - (i) only in day-light and
    - (ii) for a duration not exceeding 90 minutes, at a stretch. There shall be a minimum of 30 minutes between two stretches.
  - (l) Identify and close off or reroute any lines that might carry harmful substances in or through the work area.
  - (m) Ensure that written operating and rescue procedures are displayed at the entry site.
  - (n) If the entry is made through a top opening, use a hoisting device with a device that supports a person in an upright position and a mechanical device shall be available to remove personnel from vertical spaces more than five feet deep.
  - (o) At least one person trained in first aid and cardiopulmonary resuscitation shall be immediately available during any confined space job.
  - (p) Oxygen content in the manhole must be at least 19.5% in the confined space of the manhole measured at all levels (bottom, middle and top) and no person enters the manhole if oxygen level is below 19.5% and more than 21%.
  - (q) Ventilate the sewer line by opening at least two or three manholes on both sides where work is to be carried out.
  - (r) Manhole shall be opened at least one hour before the start of operation.
  - (s) The opened manhole shall be properly fenced or barricaded to prevent any person, specially children, from accidentally falling into the sewer. Dummy cover with welded fabric or wire-net may be used.
  - (t) All workers use the safety gear and safety devices before entering the sewer line.
  - (u) The person entering the manhole or sewer line must be monitored using signal or camera or CCTV etc., throughout the operation period.
  - (v) Structural safety of manhole rungs or steps must be tested before entering the manhole.
  - (w) Portable aluminium ladder is available during the work period where necessary and the portable ladder is properly seated or fixed during use.
  - (x) No material or tools are located near the edge which can fall into the manhole and injure the workman.
  - (y) Equipments used during sewer cleaning are explosion and fire-proof.
  - (z) Smoking, open flames are prohibited inside the manhole as well as in the immediate vicinity of open manholes.
  - (za) In the event of a sudden or unpredictable atmospheric change, an emergency escape breathing apparatus with atleast a 10 minute air supply is worn.
7. The employer shall ensure the following safety precautions at the time when the person is engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank:-
- (i) Portable fans and air blowers with batteries, in good working condition with a back up capacity of more than the estimated duration of the entry of the person in the sewer, shall be carried into sewers for ventilation and a ventilation source shall be installed at the mouth of the man hole.
  - (ii) Flashlights and communication devices such as two-way radios shall be carried into sewers.
  - (iii) Presence of the following rescue equipment at the site: -
    - (a) A tripod and harness system, or some other method ensuring manoeuvring of an injured worker to the surface.
    - (b) A basket stretcher, or similar device, shall be available for moving the injured worker to emergency transportation.
    - (c) First aid equipment as given in Annexure-I, and trained personnel shall be immediately available.
  - (iv) The employer shall ensure availability of ambulance and follow-up in close proximity.
  - (v) The employer shall ensure that the assigned person has life insurance policy of at least ten lakh rupees and the premium for which shall be paid by the employer.
8. The employer shall ensure the following post-entry safety precautions that a person engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank comes out of the sewer or septic tank after a session of cleaning:-

- (b) Provide facilities for removal of contaminated clothing in the washroom as well as cleaning dry bedding.
- (c) Clean-up material that is not to be re-used in washrooms, floors and walls, and sanitary appliances, shall be disposed on the premises for safe cleaning safely.
- (d) Any catchment on the site of a problem with a respiratory virus suffered on account of cleaning of sewer shall be immediately closed.

## CHAPTER-II

## INSANITARY LATRINES

9 Human excreta shall be treated or laid, decomposed when it eventually becomes stable material with no undissoluble and containing valuable nutrients.

## SURVEY OF INSANITARY LATRINES

- 10 (1) Every local authority shall draw a suitable time schedule for carrying out survey of insanitary latrines within its jurisdiction and the publication of their list.
- (2) The local authority shall take the assistance of the community leaders and non Governmental organizations working in the area for the welfare of the Safai Karamcharkis or sanitary workers, on the existence of insanitary latrines in the area under its jurisdiction.
- (3) Any complaint filed by any person including a non Governmental organization, regarding the construction, maintenance or use of insanitary latrine, shall be inquired by the local authority within fifteen days of filing the complaint.
- (4) The local authority shall constitute a Committee under its Chief Executive Officer with at least two members from the community of Safai Karamcharkis or sanitary workers, one of whom shall be a woman and at least one member from the civil society groups.
- (5) The Committee referred to in sub-rule (4) shall plan and monitor the survey, and ensure that an awareness campaign is carried out simultaneously with the survey that is conducted.
- (6) The Chief Executive Officer of the local authority shall prepare an initial list of insanitary latrines existing in his jurisdiction and display the same at the notice board of the office of the local authority and publish in two local daily newspapers, inviting the objections, specifying the date by which the objections, if any, to the list, shall be received.
- (7) The local authority shall cause to hold a meeting on the due date as specified to hear the complaints and objections received on the initial list and approve the final list of insanitary latrines.
- (8) The final list of insanitary latrines shall be prepared and published by the local authority which shall display the same at the notice board of office of the local authority and publish in two local newspapers, one of which shall be in the vernacular language.
- (9) The local authority, within fifteen days of final publication of list of insanitary latrines, shall serve a notice on the occupier of the insanitary latrine to either demolish such insanitary latrine or convert it into a sanitary latrine within a period of six months from the date of commencement of the Act.
- (10) Copy of such notice referred to in sub-rule (9) shall be sent to the inspector.
- (11) The notice referred to in sub-rule (9) shall include information regarding the schemes of the Central and State Government which entitle the beneficiaries to incentives for the demolition of insanitary latrines or conversion to sanitary latrines; and other information regarding the eligibility to avail the benefits under those Schemes and the procedure for availing such benefits.
- (12) The Committee referred to in sub-rule (4) shall submit the survey report to the District Magistrate, who, or any department designated by him for this purpose, in turn, shall submit the consolidated reports of all local authorities under his jurisdiction to State Level Survey Committee.
- (13) State Level Survey Committee shall furnish the report of the survey to the Central Ministry/Department dealing with the Schemes of conversion of insanitary latrines into sanitary latrines for the urban and rural areas.
- (14) The eligible beneficiaries under the relevant Schemes of the Central or State Government may apply for the admissible financial assistance under such schemes.
- (15) After the expiry of the period under sub-rule (9), the local authority shall have the premises of the occupier of insanitary latrine inspected.
- (16) If the occupier has neither demolished nor converted the insanitary latrine into a sanitary latrine, the local authority shall order for its demolition, and recover the cost from the occupier as arrears of land revenue.

SEWERAGE AND SANITATION

11. (1) The local authority shall ensure that the persons working in the category of manual scavengers shall be adequately and appropriately trained by the local authority. The method and content of such training shall be conducted and sensitized on the basis of a formal programme.
- (2) The State Level Survey Committee and the District Level Survey Committee shall carry out awareness campaigns at various levels, especially in all slums, to educate insanitary latrines, which shall be found during the survey of insanitary latrines.
- (3) The local authority shall also associate community leaders or non-governmental organizations working for the welfare of Safai Karamcharis or sanitary workers in identification of manual scavengers.
- (4) The local authority shall invite manual scavengers through awareness campaigns to declare themselves in the self-declaration centres and have their details recorded during a period and at places, which shall be notified by the local authority.
- (5) The lists of manual scavengers, if provided by the non-governmental organisations or any other concerned agency, shall be fully verified to identify manual scavengers.
- (6) In case, there is discrepancy between the data of insanitary latrines or the number of manual scavengers thrown up by any person or organisation, the local authority shall order a house-to-house survey of insanitary latrines by the enumerators to know the names of manual scavengers servicing those insanitary latrines.
- (7) Local authority shall also make efforts to identify manual scavengers by visiting the habitations of concentration of safai karamcharis, sanitary workers or manual scavengers.
- (8) Sample checks of the work done by the enumerators would be carried out by overseers designated for the purpose by the local authority, on the basis of random selection to the extent indicated below:-
  - (i) 100% check in villages.
  - (ii) 100% check in cities and towns having less than 1000 households with insanitary latrines.
  - (iii) 50% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns or cities having 1000 to 9999 households with insanitary latrines.
  - (iv) 33% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns/cities having 10000 or more households with insanitary latrines.
  - (v) in categories (iii) and (iv), if sample check of the work done by any enumerator reveals an error of >10%, a 100% check of his work shall be carried out by the supervisor.
- (9) Any person having objection either to the inclusion or exclusion of any name in the provisional list of manual scavengers in pursuance of Act, may within a period of fifteen days from the provisional publication, file an objection in the prescribed format specified by the concerned local authority.
- (10) The local authorities shall also notify the names of persons included in the list of manual scavengers carried out under the Act.
- (11) The local authority shall get the objections enquired into and hold a meeting, if necessary to finalise the list of manual scavengers in its jurisdiction.
- (12) After publication of the final list by the local authority no claim or objection on the list shall be accepted for being included or excluded in the list, provided that the manual scavenger shall be entitled to give self-declaration about his being a manual scavenger.
- (13) The District Magistrate shall notify a designated officer not below the Tehsildar or Block Development Officer for inquiring into claims and objections received and giving their findings and the inquiry conducted by the designated authority shall ensure that -
  - (i) the claimant or objector is given adequate opportunity to be heard;
  - (ii) the claimant or objector is given not less than seven days' notice about the date of summons, as provided under sub-rule (15);
  - (iii) the claimant or objector shall be allowed to present a claim with documents in support of his claim as provided under sub-rule (14).

- (13) The local authority may, in any case, be represented by a person, non-Governmental, who is not an officer of the local authority.
- (14) A copy of the order issued by the designated authority as provided under sub-rule (13), shall be made available to the applicants free of charge on demand at the designated place, as also through the website of the local authority and the applicant or objector may, support the claim with documentary evidence, if any.
- (15) Summary hearings shall be conducted by officers designated by the local authority.
- (16) The officer designated to verify the claims may order fresh verification, if necessary.
- (17) After summary hearing and such other verification (if ordered), the officer would pass an appropriate order, accepting or rejecting the claim or objection, as the case may be and a copy of the order would be given to the persons concerned.
- (18) After settlement of claims and objections by the designated authority, the local authority shall carry out necessary corrections in the draft list and transmit it to the District Level Survey Committee for its consideration.
- (19) The District Level Survey Committee shall cause compilation of lists of manual scavengers received from each local authority, town and prepare a list of manual scavengers for the district which the District Collector will forward to the State Government.
- (20) The State Government shall have the lists of manual scavengers received from various districts, compiled and prepare a consolidated State list of manual scavengers.
- (21) Any person working as a manual scavenger, may self declare either during the survey undertaken by the local authority, or any time thereafter, apply to the Chief Executive Officer of the local authority, or to any other officer authorised by him in this behalf, for being identified as a manual scavenger in the prescribed Proforma. Format of the application is given at Annexure-II.
- (22) There shall be no minimum age limit for identification of manual scavenger, and there shall be no restriction regarding the caste or religion or income or gender for being identified as manual scavenger.
- (23) For the purposes of sub-rule (22), a person should have been engaged or employed as manual scavenger at the commencement of the Act or thereafter and should have worked as such continuously for not less than three months.
- (24) A provisional list of identified manual scavengers as verified by the Overseers, shall be published by the concerned local authority in local newspapers and displayed in its own office and at such other places as deemed appropriate.
- (25) A copy of the provisional list shall be made available to members of the local authority and the non-Governmental organizations or community leader of Safai Karamcharis or sanitary workers.
- (26) While publishing the provisional list, the local authority shall call upon members of the public to file claims and objections vis-à-vis, the list, within a period, not less than 15 days, in a proforma notified by the local authority.
- (27) After the approval of the final list by the District Level Survey Committee, it shall be duly published at the notice boards of concerned offices and the final list shall also be uploaded on the website of the District administration and the State Government.
12. The identified manual scavengers, one from each family, shall be eligible for receiving cash assistance of Rs.40,000 immediately after identification. The beneficiary shall be allowed to withdraw the amount in monthly instalments of maximum of Rs.7,000.

**CHAPTER - IV  
POWERS OF THE INSPECTOR**

13. If an inspector has reason to believe that an offence under the Act as defined under sections 5, sub-Section (2) of Section 6 or 7 of the Act has, or is, or is likely to take place, he shall conduct inspection, investigation or enquiry.

- (1) If the offence pertains to the construction, maintenance or use of an insanitary latrine, the inspector shall report to the local authority, which shall thereafter take action as per the provisions of the Act.
- (2) If the offence pertains to the employment of manual scavengers, the inspector shall send a report to the local authority as well as the District Magistrate.
- (3) The local authority shall take steps to include the name of a manual scavenger found to be employed in the final list of manual scavengers, whether during survey or any time thereafter, and once the name of a manual scavenger is added to the final list, the manual scavengers shall be rehabilitated under the provisions of the Act.
- (4) If it appears to the inspector that hazardous cleaning of sewer or septic tanks is being resorted to, the inspector shall order to stop such hazardous cleaning forthwith and shall report the matter to the local authority.
- (5) The inspector may examine any structure, site, place or premises within his jurisdiction, when there are reasons to believe that any such premises is being used or has been used or about to be used for hazardous cleaning of sewer or septic tank.
- (6) The inspector may take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry connected with insanitary latrines or hazardous cleaning of sewer or septic tank.  
Provided that such person shall not be compelled to answer any question or give any such evidence tending to incriminate him.
- (7) The inspector may take or caused to be taken any photograph, video clip, sample, record or make any sketch by using any device including electronic device as he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry under these rules.
- (8) On finding that a local authority, person or agency is engaging in or employing a person in hazardous cleaning, the inspector shall instruct such authority, person or agency to stop such undertaking of cleaning immediately and shall serve a notice in writing in this regard in Form annexed as annexure-III to these rules.

**CHAPTER - V  
STATE MONITORING COMMITTEE**

- 14 (1) The State Monitoring Committee shall meet atleast once in six months on such dates and times as may be appointed by the Chairperson.
- (2) The meeting shall normally be held at the State headquarters.
- (3) Where the Committee finds it necessary to hold the meeting at any other place, for the reasons to be recorded in writing, such meetings may be held at other places, within the State.
- (4) Member-Secretary shall cause a notice of minimum ten days issued to all the members of the Committee and also send the list of business to be considered during the meeting.
- (5) No business, which is not included in the list of business, shall be considered, without the permission of the Chairperson.
- (6) The Chairperson shall preside over each meeting at which he is present, and in his absence, members may elect the senior-most member present to be Chairperson to preside over the meeting.
- (7) No business shall be transacted at a meeting unless atleast one third of the total members of the Committee are present:  
Provided that if at any meeting, less than one third of the members are present, the Chairman may adjourn the meeting to a date not less than seven days from the date of the meeting, informing the members present and sending registered notice to the other members.
- (8) Business at the adjourned meeting shall be disposed irrespective of the quorum.
- (9) The proceedings of each meeting shall be circulated to all members present and shall be read out and confirmed at the next meeting of the Committee, and shall be signed by the Chairperson.
- (10) The minutes shall be recorded in a minute book which shall be kept as a permanent record.
- (11) A copy of the minutes shall be endorsed to the Central Government for the information of the Central Monitoring Committee.

[ F. No. 19014/55/2013-SCD-IV ]  
MAULISHREE PANDEY, Director

Annexure I  
(see rule 7)

1972 shall be as follows:

(a) In every work place there shall be provided first-aid facilities so as to be easily accessible during working hours, not

less than 15 feet, for 120 employees.

(b) The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipments, namely:

(c) In work places in which the number of employees employed does not exceed 50, each first-aid box shall contain the following equipments:

1. 6 small sterilised dressings.
2. 1 medium size sterilised dressings.
3. 3 large size sterilised dressings.
4. 3 large sterilised burn dressings.
5. 1 (30 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution iodine.
6. 1 (30 ml.) bottle containing sal volatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
7. 1 snakebite lancet.
8. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
9. 1 pair scissors.
10. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India.
11. 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
12. Ointment for burns.
13. 1 bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(d) In work places in which the number of employees exceeds 50, each first-aid box shall contain the following equipments:

1. 12 small size sterilised dressings.
2. 6 medium size sterilised dressings.
3. 6 large size sterilised dressings.



4. 4 large size sterilised band dressings
5. 6 (12gms.) packets sterilised cotton wool
6. 1 (60 ml.) bottle containing a two per cent. solution of iodine
7. 1 (60 ml.) bottle containing suitable disinfectant for the disinfection of instruments, as specified in 3.2.10.
8. 1 roll of adhesive plaster
9. 1 make bite liner
10. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals
11. 1 pair scissors
12. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General Factory, Mine Service and Labour Insurance Government India
13. A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin
14. Ointment for burns
15. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(a) Adequate arrangements shall be made for immediate replacement of the equipment when necessary.

(b) The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.

(c) A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in first-aid treatment, in the work place where the number of employees employed is 150 or more.

(d) In work places where the number of employees employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the work place, first-aid posts shall be established and run by a trained compounder and he shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.

(e) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.

(f) The first-aid box shall not contain any other equipment or substance as mentioned in paragraphs 4 and 5.

**Annexure-II**  
{See rule 11(2)}

**Self Declaration Form**  
Identification of the persons engaged in manual scavenging

(Office Use)

- Name of the State: \_\_\_\_\_
- District: \_\_\_\_\_
- Municipality: \_\_\_\_\_ Town \_\_\_\_\_ Ward : \_\_\_\_\_
- Panchayat \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_

Photo of the person  
engaged in manual  
scavenging

Family Photo of the person engaged in manual scavenging  
(Picture post card size photograph 6"x4")

1. Name of the person engaged in manual scavenging: \_\_\_\_\_
2. Name of Father / Mother / Spouse: \_\_\_\_\_
3. Age: \_\_\_\_\_
4. Sex : Male  Female
5. Educational Status : (Put a ✓ mark in the appropriate box)
  - (i) a ) Literate  b) Not literate
  - (ii) If literate level of education:-
    - a) Studied: Class 1-5:  Class 6-10:  Class 11-12 :  Class above 12:
6. Occupation :
  - (i) Carrying/disposing/cleaning of human excreta manually from insanitary latrine
  - (ii) Cleaning untreated human excreta manually from: (a) open drain 
    - (b) Railway Track  (c) Pit Latrine

7. Status of Employment:-

I. Employed in:

(a) Private:-

(i) Individual Household  (ii) Community/ Group of Households

(iii) Contractor  (iv) Institution like hospital, office etc.

(v) Others (specify) \_\_\_\_\_

(b) Central Government  (c) State Government

(d) Municipal Corporation

II. Employed on:

(a) Permanent basis  (b) Temporary basis

(c) Contract basis  (d) Jajmani

8. How long you have been in this Occupation: \_\_\_\_\_

9. Social Background:

(a) Whether SC/ST/OBCs/Others

(b) Caste  (c) Sub Caste

(d) Religion

10. (a) Have you received any benefit from the government rehabilitation schemes?

(Put a √ mark in the appropriate box)

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) If yes, name of the scheme (Put a √ mark in the appropriate box):

	Name of the Schemes	Rupees
(1)	National Scheme for liberation and rehabilitation of scavengers (NSLRS)	
(2)	Self Employment Scheme for rehabilitation for manual scavengers (SRMS)	
(3)	Any other (Please specify the name of Scheme(s))	

c) If yes, whether project funded through above scheme is running:

Yes	No	If yes, monthly income (Rs.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

d) Not known

11. (a) Are you engaged in any occupation other than scavenging? : Yes  No

(b) If yes, specify: \_\_\_\_\_

12. Any other skills you possess:

- i) Construction
- ii) Carpentry
- iii) Driving
- iv) Cooking
- v) Tailoring
- vi) Any other (specify) \_\_\_\_\_

## 13. Alternative Occupation Proposal (Please specify)

Name and Address of the person engaged in manual scavenging: .....

Pincode: .....

Contact Telephone/Mobile No. ....

Signature / Thumb Impression of the person engaged  
in manual scavenging .....

name and date: .....

Signature of Enumerator: .....

name and date: (with code No.): .....

Signature of Data Entry Operator: .....

name and date (with code No.): .....

Signature of Supervisor: .....

name and date (with code No.): .....

**Details of Insanitary Latrine**

## 1. Details of Individual Insanitary Latrine (IIL):

Sl. No	Name of the owner of Insanitary Latrine	Location of the		Monthly Salary/ wages of the Manual Scavenger (Rs.)	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

Total Number of the Individual Insanitary Latrines being cleaned by the person engaged in manual scavenging: 

(Note: Please give detailed description of the individual Insanitary Latrine Cleaned by the person engaged in manual scavenging. In case you need to write extra information kindly photocopy this page and attach with the survey form)

## 2. Details of Community Insanitary Latrine (CIL):

Sl. No	Name of the owner (Organisation/ Agency) of Community Insanitary Latrine	Location of the		Monthly Salary/ wages of the Manual Scavenger (Rs.)	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

## 3. Detail of Open Drains(OD)/Railway Tracks/other spaces :

S.No	Location of Open Drains/Railway tracks/other spaces in which excreta from the insanitary latrines is being flushed	Salary/wages of the manual scavengers	
		In cash (Rs.)	In kind (Rs.)

(Note: If the number of involved manual scavengers in OD is more than one then please fill up a separate form for each of the person engaged in manual scavenging.)

Annexure-III  
{See rule 13(8)}

Office of the Inspector u/s 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, \_\_\_\_\_ (Area name).

Notice

{under rule 13(8) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013}

Ref: \_\_\_\_\_  
To \_\_\_\_\_

date: \_\_\_\_\_

Subject: Notice under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013(hereinafter the Act) and the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 (hereinafter the Rules): Hazardous cleaning of sewers and septic tanks

Whereas, Section 7 of the Act provides that no person, local authority or any agency shall, from such date as the State Government may notify, which shall not be later than one year from the date of commencement of this Act, engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank;

and whereas, the \_\_\_\_\_ (name of State) Government has notified the date of enforcement of the provisions of Section 7 of the Act as \_\_\_\_\_ (date of effect);

and whereas, cleaning of sewers and septic tanks is regulated under the provisions of rules 3 to \_\_\_\_\_ of the Rules;

and whereas, you have been noticed to have violated the provisions of Section 7, read with Section 2(1)(d) of the said Act and the rule \_\_\_\_\_ (rule number) made thereunder, as per the following details:-

(i) Place of violation \_\_\_\_\_

(ii) Date of violation \_\_\_\_\_

(iii) Violation details :-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. You are requested to show cause as to why action against you under Section \_\_\_\_\_ of the Act be not initiated. You are requested to submit your clarifications in writing by \_\_\_\_\_ (date) or appear in person in my office on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_.

3. In case you fail to submit the necessary clarification or you or your representative fails to appear on the specified day and time, it shall be deemed that you have nothing to say in the matter and the undersigned shall be free to take action in accordance with the provisions of the Act and the Rules.

Name and Designation of the Inspector

Date \_\_\_\_\_  
Place \_\_\_\_\_